राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4276/2021

रामवीर सिंह (कर्मचारी आई.डी.– आरजेकेओ199427005391)

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : **27.09.2021**

आदेश की दिनांक : 09.12.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता (स्कूली शिक्षा) के लिए विज्ञप्ति 1991–92 में जारी की गई थी, जिसमें अपीलार्थी द्वारा भौतिकी विषय के विख्याता के पद पर चयन हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अपीलार्थी ने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया एवं अपीलार्थी का नाम अनन्तिम रूप से क्रम संख्या 45 पर रखा गया। अपीलार्थी का नाम उस सूची में नहीं रखा गया, जो लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु भेजी गई। अपीलार्थी का नाम नहीं जोड़ने का यह कारण बताया गया कि अपीलार्थी ने बीएड डीग्री अनामलाई विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को नियुक्ति दिनांक 07.12.1992 को दी गई।अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 7682/1992 रामवीर सिंह बनाम राज्य प्रस्तुत की, जो रिट याचिका दिनांक 15.09.1993 को निर्णित की गई। जिसमें निम्न प्रकार से आदेश

पारित किया गया :–''परिणाम स्वरूव याचिका स्वीकार की जाती है। अप्रार्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रार्थी का नाम व्याख्याता, (स्कूली शिक्षा), भौतिकी विषय के पद पर नियुक्ति के लिए सक्षम अधिकारी को 15 दिन में प्रषित करें। प्रार्थी का नाम सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त होने के एक माह की अवधि में व्याख्याता (स्कूली शिक्षा), भौतिकी विषय के पद पर नियुक्ति दी जाए। प्रार्थी को वास्तविक वेतन का लाभ नियुक्ति की तिथि से देय होगा। जहां तक उसकी वरिष्ठता का प्रश्न है, वह उसे लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित की गई वरियता (मैरिट) के आधार पर दी जावे। पक्षकार अपना व्यय स्वयं वहन करें।''

2. माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के पश्चात अपीलार्थी को दिनांक 16.01.1994 (अनुलग्नक–5) के द्वारा प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई, जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 28.01.1994 को ड्यूटी जॉईन करी। अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची में उचित स्थान पर नहीं रखा गया था और उसका नाम ड्यूटी जॉईन करने की दिनांक से वरियता मानते हुए नाम रखा गया। जिस पर अपीलार्थी ने न्याय की मांग का नोटिस प्रेशित किया। अपीलार्थी ने अपील संख्या 124/2022 इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें प्रत्यर्थी विभाग को नोटिस जारी किया गया, परंतु उक्त अपील वर्ष 2005 में अन्य अपीलों के साथ इस आधार पर खारिज किया गया है कि कोई आक्षेपित आदेश नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय में अपीलार्थी ने रिट याचिका 4670/2007 प्रस्तुत की। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की वरियता प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ठीक कर दी गई, परंतु अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ उस दिनांक से नहीं दिया गया, जबकि उसे कनिष्ठ व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई थी। अपीलार्थी को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ भी काल्पनिक रूप से प्रदान नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुनः अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिनांक 20.07.2021 को पारित किया। उपरोक्त तथ्य प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलार्थी ने यह

अपील प्रस्तुत कर यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को चयनित वेतनमान व वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों की नियुक्ति की दिनांक 07.12.1994 से अपीलार्थी की सेवा अवधि की गणना करते हुए दिलाई जाये एवं समस्त परिणामिक लाभ व एरियर की राशि भी दिलाई जाये।

3. प्रत्यर्थी विभाग ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया था कि अपीलार्थी को वास्तविक वेतन का लाभ नियुक्ति की तिथि से देय होगा। अतः अपीलार्थी को वेतन का लाभ नियमानुसार व उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिये गए है। प्रत्यर्थी विभाग ने कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है।

4. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने दौरान–ए–बहस अपील के आधारों को दोहराते हुए तर्क दिया कि यह अपीलार्थी से कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को दिनांक 07.12.1992 को नियुक्ति प्रदान की गई थी। अपीलार्थी उसी चयन प्रक्रिया में चयनित किया गया , परंतु अपीलार्थी को नियुक्ति इसलिए प्रदान नहीं की कि अपीलार्थी का बीएड की डिग्री वैध नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.09. 1993 में अपीलार्थी की डिग्री को वैध नहीं माने जाने को गलत माना है और अपीलार्थी को नियुक्ति देने के आदेश दिये है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने उक्त आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी की वरियता उसे लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित की गई वरियता के आधार पर दी जावे। अतः माननीय उच्च न्यायालय ने चयन प्रक्रिया में अपीलाथी की मेरिट को सुरक्षित रखा है तो अपीलार्थी को उससे कम मेरिट व कनिष्ठ कर्मियों से कम वेतन प्राप्त नहीं हो सकता है। अपीलार्थी से कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को दिनांक 07.12. 1992 को नियुक्ति प्रदान की गई थी और अपीलार्थी को बाद में दिनांक 16.01.1994 नियुक्ति प्रदान की गई, जिसमें अपीलार्थी का कोई दोष नहीं था, तो अपीलार्थी की भी सेवा की गणना दिनांक 07.12. 1992 से की जानी चाहिए और उसे सभी लाभ प्राप्त करने का

अधिकार है, जो उससे कम मेरिट व कनिष्ठ कर्मियों को प्रदान किये गए है। उसको चयनित वेतनमान, वेतन स्थिरीकरण आदि का लाभ दिनांक 07.12.1992 से सेवा की गणना करके दिए जावें, जो उससे कनिष्ठ कार्मिकों को दिये गये हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ***माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 1145/2002 मोहन सिंह वर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य*** में पारित आदेश दिनांक 04.07.2014 में नियम के अनुसार अवधारित किया हैः—

> "In view of above, the writ petition succeeds and same is allowed. The responents are directed to take into consideration the improved marks of the Senior Secondary Examination (Annexure-2) to prpare the merit for the purpose of appointment on the post of Sanskrit Teacher pursuant to advertisement No. 2/98-99 (Annexure-1) and if the petitioner is found to have secured more marks than any candidate appointed on that post in his category then the respondents to grant him such appointment from the date on which the candidate immediately below him in the merit was appointed. If eventually, the petitioner is found held entitled to secure appointment, he would not be entitled to any monetary benefits for the intervening period. However, he would be entitled to notional benefits with regard to seniority etc., which may have been grant to such junior person. Compliance of this order be made within three months."

उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि हस्तगत अपील स्वीकार फरमायी जावे और अपीलार्थी की दिनांक 07.12.1992 से सेवा की गणना करते हुए उसको समस्त परिलाभ प्रदान किया जाने के आदेश फरमावें, जो उससे कम मेरिट एवं कनिष्ठ कार्मिकों को दिनांक 07.12.1992 से नियुक्त किए जाने पर प्रदान किए गए हैं।

5. प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को वास्तविक वेतन का लाभ नियुक्ति की तिथि से दिया जाना था, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिया जा चुका है। अन्य लाभ जो चयनित वेतनमान व वार्षिक वेतनवृद्धि के संबंध में दिये जाने है, वे लाभ भी अपीलार्थी पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से ही प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील निरर्थक तथ्यों पर आधारित है, इसको सव्यय निरस्त फरमायी जावें।

6. हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा अभिलेख पर उपलब्ध तमाम सामग्री का गम्भीरतापूर्वक परिशीलन कर मनन किया।

7. अभिलेख एवं अभिवचनों से यह निर्विवाद रूप से प्रकट है अपीलार्थी से कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को पूर्व में दिनांक 07.12.1992 को नियुक्ति प्रदान की गई थी। अपीलार्थी को केवलमात्र इस आधार पर नियुक्ति प्रदान नहीं की गई कि उसकी डिग्री मान्य नहीं है, बाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की डिग्री को मान्य होना माना है और अपीलार्थी को इस आधार पर नियुक्ति नहीं दिया जाना गलत माना है। बाद में अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नियुक्ति दिनांक 28.01.1994 को दी गई। अपीलार्थी की वरियता बाद में ठीक की गई, परंतु अपीलार्थी को चयनित वेतनमान व वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ उससे कनिष्ठ व्यक्तियों की नियुक्ति की दिनांक से ना देकर उसकी कार्यग्रहण की तिथि से दिया गया, जिस पर यह अपील पेश की गई है।

8. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 1145/2002 मोहन सिह वर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित पूर्वोक्त आदेश दिनांक 04.07.2014 में यह अवधारित किया है कि याचिका कर्ता कम मेरिट वाले अभ्यार्थियों को दी गई नियुक्ति तथा उसको दी जाने वाली नियुक्ति के आदेश के बीच की अवधि जिसमें उसने कार्य नहीं किया है उसका मोनेटरी लाभ (Monetary Benefits) प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, परन्तु वह इस अवधि का काल्पनिक आधार पर वरिष्ठता आदि का लाभ जो उससे कनिष्ठ को दिया गया है पाने का अधिकारी है। अतः हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी दिनांक 07.12.1992 से जब उससे कम मेरिट/अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई, से सेवा की गणना करके वेतन स्थिरीकरण, चयनित वेतनमान, वरिष्ठता एवं पेंशन परिलाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। दिनांक 07.12.1992 से प्रत्यर्थी विभाग के नियुक्ति आदेश दिनांक 16.01.1994 (अनुलग्नक–5) की पालना में कार्यग्रहण करने की तिथि तक

वह काल्पनिक परिलाभ (Notional Benefits) प्राप्त करने का और आदेश दिनांक 16.01.1994 की पालना में कार्यग्रहण तिथि से वह वास्तविक लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

9. उपर्युक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से मंजूर की जाती है और यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी की दिनांक 07.12.1992 से सेवा की गणना की जाए व वेतन स्थिरीकरण, चयनित वेतनमान, पेंशन हेतु सेवा की गणना दिनांक 07.12.1992 से की जाकर काल्पनिक (Notional) परिलाभ दिये जावें। अपीलार्थी को वास्तविक परिलाभ (actual monetary benefits) उसकी नियुक्ति आदेश दिनांक 16.01.1994 (अनुलग्नक–5) की पालना में कार्यग्रहण करने की तिथि से ही देय होंगे।

10. राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 8 (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की पालना 4 माह की अवधि में की जावें।

11. आदेश आज दिनांक 09.12.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)